



## प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर

दिनांक 08.07.2024

### अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा० न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर, थाना राठ, थाना चिकासी से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

#### जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

क्र० सं०	थाना	गुण्डा अपराधी का नाम	जिलाबदर का दिनांक	अवधि
1.	थाना कोतवाली नगर	अंकित पाण्डेय पुत्र अरुण कुमार पाण्डेय निवासी मु० रहुनिया धर्मशाला थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर	25.06.2024	06 माह
2.	थाना कोतवाली नगर	बब्लू पुत्र सुखदेव केवट निवासी ग्राम बड़ागांव थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर	28.06.2024	06 माह
3.	थाना राठ	गद्दार उर्फ रमजान पुत्र सम्मी निवासी मु० सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर	28.06.2024	06 माह
4.	थाना चिकासी	राकेश पुत्र वीर सिंह उर्फ वीरा निवासी ग्राम रिहुंटा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर	29.06.2024	06 माह